सत्यमेव जयते

खंड ८ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त
सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १२ सितम्बर, १९५५ ।

Vol. VIII No. 1

The
Bihar Legislative Assembly
Debates
Official Report

Monday, the 12th September 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

विहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २८ सितम्बर १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत नारायण लाल के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers

तकावी कर्ज का वितरण।

२८। श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बांका एवं चौंसी थानों में आज तक सरकारी आदेशानुसार तकावी कर्ज का वितरण ग्राम-पंचायत के मुखिया के परामर्श से होता था;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नीति में एकाएक परिवर्तन किया जा रहा है;

(३) यदि खंड (२) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो बांका के एस० डी० ओ० की इस नीति परिवर्त्तन का क्या कारण है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१), (२) और (३) १९५१ और १९५२ में काफी रकम तकावी लोन की बांटी गई थी जब ग्राम-पंचायत कायम नहीं हुई थी या इसकी संख्या बहुत ही कम थी, इसलिये उस समय ग्राम-पंचायत की सलाह लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब ग्राम-पंचायत कायम हो गयी तब ग्राम-पंचायत की सलाह से ही रुपया बांटा जाता था। जहां ग्राम-पंचायत नहीं है, या मुखिया संयोगवश कर्ज बांटने की तारीख पर किसी कारण से गैरहाजिर हो गया, ऐसी हालत में ऐसेसर या टाउन कांग्रेस कमिटी के पदाधिकारी से राय लेकर लोन ऑफिसर कर्ज बांटते हैं।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—क्या यह बात सही है कि ग्राम-पंचायत के मुखिया की सिफारिश करने पर भी वहां के अधिकारियों ने एक फार्म भर कर लाने के लिये दिया और कहा कि इसी के मुताबिक कर्ज दिया जायगा?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आप यदि उदाहरण दें तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री हृदय नारायण चौधरी—सरकार का इस संबंध में क्या आदेश है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) इसका उत्तर हां है।

(२) इसकी जांच अभी हो रही है और इसलिए जो आरोप लगाया गया है उसमें कहां तक सचाई है इस संबंध में सरकार कुछ नहीं कह सकती है।

(३) जो उत्तर खंड (२) में दिया गया है उसके बाद यह सवाल नहीं उठता है।

अंचलाधिकारी के विरुद्ध सिविल-सूट।

१०७। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री पी० के० बनर्जी, अंचलाधिकारी, वारिसनगर (दरभंगा) के विरुद्ध सिविल-सूट दायर करने के लिये मुख्य सचिव, बिहार-सरकार पटना से श्री श्रीनारायण ठाकुर, ग्राम एंड पोस्ट वारिसनगर (दरभंगा और श्री परमानन्द सिंह, ग्राम एंड पोस्ट किशुनपुर बैकुंठ (दरभंगा) ने आज्ञा मांगी है ;

(२) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने आज्ञा भेज दी है, यदि नहीं, तो आज्ञा कब तक भेजी जायगी ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) उत्तर हां है।

(२) यह बात विचाराधीन है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—भ्रष्टाचार निरोध विभाग से जांच-पड़ताल कब समाप्त हुई ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मेरे पास इसकी खबर नहीं है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोध विभाग के जिस अफसर के पास यह रिपोर्ट भेजी गई थी उनके यहां से सरकार के पास रिपोर्ट आई है या नहीं ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मेरे पास इसकी खबर नहीं है। मेरे पास इतनी ही खबर है जितनी कि प्रश्न के जवाब के लिये जरूरी है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार इस चीज को आवश्यक समझती है या नहीं कि जिस अंचल अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध विभाग की शिकायत है उस संबंध में रिपोर्ट शीघ्र सरकार के पास आवे ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सरकार अपने किसी काम में देरी नहीं करती है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार यह समझती है या नहीं कि इस मामले में काफी देरी हो रही है? लगभग एक वर्ष से दरखास्तें आ रही हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की और अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। देरी हो रही है, इस बात को सरकार मानती है या नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या कलक्टर को इस तरह की हिदायत दी गई है कि वह जल्द से जल्द इस केस को ऐक्सपिडाइट करे?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—कलक्टर को लिखा गया है कि जल्द जवाब दें।

विद्यालयों के भवनों के लिये अनुदान।

११०। श्री रमेश झा—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले में जो अनुदान इम्प्रूवमेंट फंड से दिये गये है उसमें इस बात के लिये खास हिदायत है कि वे रुपये विद्यालयों के भवनों की मरम्मत या उसे बनाने में खर्च नहीं किये जायं;

(२) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है; तो क्या सरकार सहरसा जिले के लिये अपने इस निर्णय में परिवर्त्तन करेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) अनुदान इम्प्रूवमेंट फंड से सहायता देने के संबंध में सरकार का फैसला है कि आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर और किसी जगह में शिक्षा के काम में रुपया खर्च नहीं हो सकता है। और जो सरकार का फैसला है वह सूबे के दूसरे हिस्से में भी लागू है जैसे सहरसा में।

(२) यह विषय विचाराधीन है।

श्री रमेश झा—क्या सरकार बतायेगी कि बाढ़ के चलते वहां के अधिकांश विद्यालय भवन बरबाद हो गये हैं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसके लिए आप शिक्षा विभाग के पास पहुंचिये। आप समझते हैं कि सभी काम राजस्व विभाग कर सकता है यह गलत बात है।

श्री रमेश झा—क्या सरकार को मालूम है कि वहां के लोग इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि बाढ़ के चलते वहां के अधिकांश विद्यालय-भवन बरबाद हो गये हैं इसलिए इम्प्रूवमेंट फंड अनुदान से उनकी मरम्मत होनी चाहिए?

उपाध्यक्ष—इसका उत्तर मिल चुका है।